



INDIA NON JUDICIAL

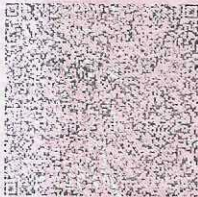
Government of Uttar Pradesh

IN-UP38198985311060X

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP38198985311060X
Certificate Issued Date : 10-Mar-2025 11:44 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14489704/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1448970473570686165068X
Purchased by : ANVI FOUNDATION BUDDHI VIHAR MORADABAD
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : ANVI FOUNDATION BUDDHI VIHAR MORADABAD
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : ANVI FOUNDATION BUDDHI VIHAR MORADABAD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
(Seven Hundred And Fifty only)



Verified By

Locked By

Please write or type below this line

IN-UP38198985311060X

Ashu Pandey



Kulika Pandey



QE 0019940164

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent authority.



photo

Ashish Pandey



photo

Kavika Pandey

स्टाम्प शुल्क :- 750 रु

अन्वी फाउंडेशन

स्टाम्प संख्या :- IN-UP38198985311060X

(ANVI FOUNDATION)

मालियत :- 10000 रु

न्यास विलेख

(TRUST DEED)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 09/03/2025 को मुरादाबाद में कि श्री आशीष पाण्डेय पुत्र राजेंद्र प्रसाद , निवासी 229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001 व कृतका पाण्डेय पुत्री राजेन्द्र प्रसाद , निवासी 229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001 द्वारा घोषित किया गया जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष (स्थाई ट्रस्टी) कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि है जिसके कि वह पुण्यार्थ, धर्मार्थ एवं समस्त सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का सहर्ष न्याय बनाने हेतु इच्छुक है। जो कि पुण्यार्थ, धर्मार्थ, सामाजिक उत्थान, शैक्षिक विकास, जन कल्याणार्थ एवं समस्त सामाजिक कार्यों को करेगा। यह एक किरण वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसके आगे संक्षिप्त में ट्रस्टी भी कहा जा सकेगा, क्योंकि ट्रस्ट का संचालन करने वाला मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न सूत्रों से जिसमें दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके। न्यास के पास रुपये 10,000/- के अलावा कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तथा ट्रस्टी का पता ही ट्रस्ट का कार्यालय है जो कि ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति नहीं है।

न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रुपया 10,000/- (रुपया दस हजार मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। वर्तमान में इसका पंजीकृत कार्यालय 229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। उक्त कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

Ashish Pandey

Kavika Pandey

ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

अन्वी फाउंडेशन

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट) के उद्देश्य)

ANVI FOUNDATION

Objective :

- 1) कमजोर वर्गों में सामाजिक एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देना तथा टीम के लिए कल्याणकारी संघ बनाना।
- 2) आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक शक्तियों को बढ़ावा देना।
- 3) सफाई (स्वच्छ अभियान आदि), शिक्षा सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन, नशामुक्ति, शराब और धूम्रपान निषेध आदि के माध्यम से समाज कल्याण के लिए संसाधनों को बढ़ावा देना और उनका प्रबंधन करना, समाज में समस्याओं का समाधान करना।
- 4) सांस्कृतिक विकास पुस्तकालय, वाचनालय, सभागार आदि को बढ़ावा देना, तथा पत्रिकाएँ प्रकाशित करना और समाज कल्याण के लिए नाटक, नाटक, नृत्य और शास्त्रीय गीतों का आयोजन करना, समाज के लोगों के लिए कवि सम्मेलन, साहित्यकार सम्मेलन, जगराता, जागरण, भजन संध्या का आयोजन करना।
- 5) समाज में अन्य राष्ट्रीय सामाजिक संगठनों / संस्थाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना।
- 6) सामाजिक कल्याण के लिए अपने उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए अन्य सामाजिक संगठनों के साथ-साथ सरकारी संगठनों की सहायता करना।
- 7) भारतीय संविधान के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों यानी एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / जरूरतमंद आदि की सामाजिक, वित्तीय समस्याओं और शिकायतों के बारे में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचित करना।
- 8) राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ समाज के विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मूल्य वितरण कार्यक्रम / सम्मान समारोह आयोजित करना।
- 9) विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार की सहायता करना।
- 10) कमजोर वर्ग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, निराश्रित, शोषित आदि के विकास के लिए संसाधनों और तरीकों को व्यवस्थित और विकसित करना।

Ashish Pandey

Kushal Pandey

- 1) प्रतिनिधिमंडल बनाकर कमजोर वर्गों की समस्याओं को दूर करने और उनकी सफलता के लिए काम करना।
- 12) कमजोर वर्गों की समस्याओं पर काम करने के लिए सोसायटी द्वारा सहकारी समितियां बनाना।
- 13) दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को मिटाना।
- 14) नैतिक/चरित्र निर्माण के लिए काम करना।
- 15) शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, गरीब छात्रों और बच्चों को किताबों की मदद देना; भूमिहीनों के लिए खेती योग्य जमीन की व्यवस्था करना; बेघर और गरीबों के लिए घर की व्यवस्था करना; विधवाओं, विकलांग टीबी रोगियों आदि की मदद करना और उनके लिए सरकार से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।
- 16) सभी समुदायों के बच्चों को उनकी जाति, धर्म, रंग, जाति या पंथ के बावजूद सामान्य रूप से अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें जीवन के लिए प्राप्त मूल्यों के आधार पर शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से देश के परिपक्व और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करना।
- 17) शिक्षा विभाग और संबंधित सरकारी अधिकारियों से मान्यता और संबद्धता प्राप्त करके बच्चों को अच्छी पूर्व-प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक) और उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूलों को शुरू करना, स्थापित करना, चलाना, संभालना या प्रबंधित करना और बनाए रखना।
- 18) जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी के लिए, विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए नर्सरी, प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने के लिए भूमि के आवंटन के लिए केंद्रीय या राज्य भूमि आवंटन प्राधिकरणों या किसी अन्य संबंधित एजेंसियों से संपर्क करना और उनके किसी भी लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना
- 19) संबंधित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर शिक्षा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास, फार्मेसी, वास्तुकला, चिकित्सा, नर्सिंग, कानूनी, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और संबद्ध विषय, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कार्यक्रम आदि के क्षेत्र में विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, निर्माण, निर्माण, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन, विकास, ऋण, अधिग्रहण, खरीद, कार्य और सुधार, सुसज्जित, बढ़ावा, आरंभ, प्रोत्साहित और अनुबंध, उप-अनुबंध, सब्सिडी और आयोजन करना।
- 20) संबंधित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार स्कूलों (आवासीय/आवासीय स्कूलों सहित), महाविद्यालयों (स्नातक और स्नातकोत्तर आदि), शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, निर्माण, निर्माण, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन, विकास, ऋण, अधिग्रहण, खरीद, कार्य और सुधार, सुसज्जित, बढ़ावा, आरंभ, प्रोत्साहन, अनुबंध, उप-अनुबंध, सब्सिडी और आयोजन करना।

Ashish Pandey

Kaushik Pandey

- 21) सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, साहित्य, ललित कला, सामान्य ज्ञान आदि के कार्यों से युक्त पुस्तकालयों और वाचनालयों का रखरखाव करना।
- 22) भारत के नागरिकों के बीच भाईचारे, सहयोग, आपसी सद्भाव, प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करना।
- 23) लोगों की ओर से सरकारी, अर्ध-सरकारी विभिन्न अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करना।
- 24) समाज की विभिन्न दैनिक समस्याओं पर लोगों को सलाह देना, विशेष रूप से दलित और जरूरतमंदों को।
- 25) सरकार और अर्ध-सरकारी या स्थानीय निकायों (सरकारी या विधायी) के साथ निपटाए गए सभी मामलों में भारत के नागरिकों के हितों और वैध तरीकों से विरोध करना, जो उनके हितों को प्रभावित करते हैं।
- 26) विचारों के आदान-प्रदान और बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के विषयों पर चर्चा के लिए सम्मेलनों, बैठकों आदि का आयोजन और उनमें भाग लेना।
- 27) बड़े पैमाने पर लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, चिकित्सा बेहतरी में योगदान देना, विशेष रूप से जरूरतमंद, निराश्रित और वंचितों के लिए।
- 28) कला विज्ञान, साहित्य, मानवता और उनके सभी अभिव्यक्तियों में सभी उपयोगी विषयों में शिक्षा और ज्ञान के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल, कॉलेज, व्याख्यान हॉल और अन्य प्रतिष्ठान या संस्थान खोलना, स्थापित करना, बढ़ावा देना, स्थापित करना, चलाना, बनाए रखना, सहायता करना, वित्त, समर्थन और/या सहायता और सहायता करना।
- 29) टाइपिंग, शॉर्ट-हैंड, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, ललित कला, शिल्प, संगीत, चित्रकारी, मॉडलिंग, अभिनय, नृत्य, कर्तिंग और टेलरिंग, योग, शारीरिक शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों के प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था और प्रबंधन करना, जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। और स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों आदि के माध्यम से पढ़ना, लिखना, साहित्य, नाटक और अन्य संबंधित कलाओं और दृश्य निर्देशों में शिक्षा को बढ़ावा देना।
- 30) सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और लोगों को विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूक करने के उद्देश्य से वृत्तचित्र फिल्में, नाटक, स्टेज शो, सार्वजनिक अभियान तैयार करना, निर्देशित करना और प्रसारित करना।
- 31) इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कॉलेज, प्रबंधन शिक्षा संस्थान, कंप्यूटर विज्ञान संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण और विशिष्ट अध्ययन और अनुसंधान संस्थानों सहित उन्नत तकनीकी शिक्षा कॉलेजों की स्थापना, संचालन, रखरखाव और नकद या वस्तुओं में सहायता प्रदान करना ताकि छात्रों को ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.ई.आर.टी., राज्य या केंद्र सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार एम.टेक./बी.टेक./एम.बी.ए./बी.एड./एम.एड./एन.टी.टी.

Ashish Pandey

Kushal Pandey

पाठ्यक्रम/बी.एस.डब्लू./एम.एस.डब्लू. और अन्य प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के लिए मानक और उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान की जा सके।

- 32) आवश्यक परिवर्तन करना और प्रचलित स्कूल शिक्षा प्रणाली को व्यापक बनाना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विस्फोट के साथ तेजी से बन रहे कई नए व्यवसायों को पूरा करना।
- 33) स्कूल शिक्षा में ऐसी प्रणाली को अपनाना जो सीखने के सभी क्षेत्रों में विज्ञान प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं की शुरुआत के माध्यम से शरीर को छोड़ने पर जोर दे।
- 34) समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल से बाहर ऐसे क्रियाकलाप केन्द्रों की स्थापना करना। जहाँ वे खेलकूद, चित्रकला, मिट्टी और लकड़ी के काम, संगीत नृत्य जैसी कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने का लाभ और आनन्द उठा सकें और वाद-विवाद, चुनाव, भ्रमण, शैक्षिक यात्राओं और ऐसी अन्य गतिविधियों में कौशल विकसित कर सकें।
- 35) विद्यार्थियों और आम जनता के लिए वाचनालय, चर्चा कक्ष, सभागार और पुस्तकालय आदि की स्थापना करना।
- 36) युवा पीढ़ी में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे- शिक्षक प्रशिक्षण, नर्स प्रशिक्षण, तकनीकी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला परिचारक/सहायक, अस्पताल शिक्षा केन्द्र सह क्लीनिक, प्रसूति गृह, शिशु देखभाल केन्द्र और ऐसी अन्य संस्थाएँ (यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी/अधिकारियों से अनुमति और/या सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद) शुरू करना, जिनका उपयोग आम जनता के लिए किया जा सके।
- 37) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कामकाजी महिला छात्रावास, स्वाधार गृह, बाल संरक्षण गृह, शिशुगृह, एकीकृत बाल विकास प्रशिक्षण केन्द्र और महिला आश्रमों की स्थापना, शुरुआत, संचालन और प्रबंधन करना।
- 38) युवा लड़के-लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों की शुरुआत, संचालन और प्रबंधन करना, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके।
- 39) सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मोबाइल आपातकालीन वैन/एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, गर्भवती महिलाओं को निकटतम अस्पताल में ले जाने में सहायता प्रदान करना और किसी भी आपात स्थिति में वृद्ध लोगों को सहायता प्रदान करना।
- 40) वनीकरण और वृक्षारोपण के बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के माध्यम से विशाल भूमि का उत्पादक उपयोग करना।
- 41) आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण में उनके विशेष योगदान और इस क्षेत्र में उनके काम के लिए देश के ऐसे श्रमिकों को पुरस्कार, सम्मान, प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना।

Ashish Pandey

Kaishla Pandey

- समाज के जरूरतमंद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को धोती, कंबल, गलीचे, ऊनी/सूती/कपड़े और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
- 43) विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करके उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए भारत और विदेशों में कार्यशालाओं, सेमिनारों और विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाना।
- 44) किसानों और कृषि से जुड़े लोगों से संपर्क करके उन्हें किसानों/कृषि की बेहतरी के लिए कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और शोध संबंधी जानकारी प्रदान करना।
- 45) सामाजिक मुद्दों पर मंचीय नाटक, संगीत समारोह, सेमिनार और विविध कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
- 46) मेडिकल, डेंटल, पैरा मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी फार्मसी, नर्सिंग, प्रयोगशाला, व्यावसायिक चिकित्सा, आहार विशेषज्ञ, ब्यूटीशियन, एक्यूपंकचर और एक्यूप्रेसर थेरेपी आदि जैसे विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों की स्थापना, संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और नियंत्रण करना (यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद)।
- 47) शिक्षण की गुणवत्ता और पद्धति को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अनुसंधान और प्रशिक्षण करना और समुदाय के लाभ के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, चलाना और ऐसे संस्थानों को सुसज्जित और प्रबंधित करना।
- 48) साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कक्षाएं, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, प्रदर्शनियां, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वेबिनार की सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- 49) विद्यार्थियों तथा आम लोगों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, स्टेशनरी, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- 50) विभिन्न शैक्षणिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंधन करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना तथा विकसित करना, साथ ही विद्यार्थियों, विद्वानों, प्रशिक्षुओं तथा अन्य जरूरतमंद अभ्यर्थियों को सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- 51) योग्य विद्यार्थियों को संस्थागत छात्रवृत्ति तथा सहायता प्रदान करना, तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान करना।
- 52) उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए यात्रा, भोजन और आवास का खर्च उठाना और उन्हें हर संभव तरीके से मदद करना।
- 53) शिल्प-शिक्षालय, कला-केंद्र (संगीत, नृत्य और मॉडलिंग आदि से संबंधित) की स्थापना और रखरखाव सहित जनता के बीच ललित कला, शिल्प को बढ़ावा देना।

Ashish Pandey

Kishor Pandey

- **दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समूहों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले महापुरुषों और राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा को बढ़ावा देना और उनका पालन करना।**
- 55) समाज के उद्देश्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान, दान, सार्वजनिक अभियान, क्राउड-फंडिंग, सदस्यता, ऋण, पीयर-टू-पीयर, मुफ्त या सशुल्क सेवाओं आदि के माध्यम से धन जुटाना।
- 56) एसोसिएशन की गतिविधियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन और प्रकाशन समय-समय पर करना। की व्यवस्था करना।
- 57) ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर (समय-समय पर) भ्रमण और यात्रा की व्यवस्था करना तथा परिवहन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, अस्थायी आश्रय आदि सभी संभव सुविधाएं प्रदान करना।
- 58) पूरे भारत में नेत्र, अंग और रक्तदान शिविर, कानूनी जागरूकता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था करना।
- 59) प्राकृतिक आपदा/ या आपदा/ या महामारी का सामना करने वाले देश के लोगों को कपड़े, कंबल, खाद्य पदार्थ, ऊनी/ रेशमी/ सूती या अन्य प्रकार के कपड़े, गलीचे, अन्य आवश्यक वस्तुएं, आश्रय (अस्थायी/ स्थायी), दवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं दान करने के लिए लोगों से संपर्क करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।
- 60) समाज के महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, अनाथों, विधवाओं, निराश्रितों, भिखारियों, अंधे, ट्रांसजेंडर, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और जरूरतमंद लोगों के लिए संरक्षण, संवर्धन, उन्नति और पुनर्वास केंद्र और स्कूल/घर शुरू करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना।
- 61) समाज के उद्देश्यों और उद्देश्यों के काम और आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों, श्रमिकों, कानूनी या अन्य पेशेवरों, वकीलों, प्रबंधकों और एजेंटों आदि को नियुक्त करना, नियुक्त करना और उन्हें वेतन, वजीफा या फीस देना।
- 62) युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, क्रेच केंद्रों की व्यवस्था और स्थापना करना। युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर, साहसिक शिविर (पानी, पहाड़ आदि), रॉक क्लाइम्बिंग की व्यवस्था और प्रचार करना।
- 63) किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, किशोरी बालिका योजना/किशोरी शक्ति योजना/निर्भया फोर्स का आयोजन करना।
- 64) विधवा महिलाओं, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की व्यवस्था करना और सुनिश्चित करना।

Ashish Pandey

Keetika Pandey

महिला अत्याचार निवारण, नशा निवारण, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा परिवार परामर्श केन्द्र के क्षेत्र में गतिविधियों का आयोजन करना।

66) समय-समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

67) घरेलू हिंसा या किसी अन्य समान परिस्थितियों में जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वाधार गृह या अल्पावास गृह की स्थापना करना और उनका संचालन करना।

68) जनहित में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर करना।

69) स्वच्छता, मासिक धर्म और स्वच्छता प्रबंधन, पोषण के लिए काम करना।

70) समग्र सामाजिक कल्याण और उत्थान के लिए काम करना।

71) सामाजिक क्षेत्रों में निर्माण और विज्ञापन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करना।

72) महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम, नशाखोरी की रोकथाम, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और परिवार परामर्श केंद्र के क्षेत्र में गतिविधियों का आयोजन करना।

73) समय-समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

74) घरेलू हिंसा या किसी अन्य समान परिस्थितियों के दौरान जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वाधार गृह या अल्पावास गृह की स्थापना और संचालन करना।

75) भारत के नागरिकों के मानव अधिकार, पशु अधिकार और सभी बुनियादी मौलिक अधिकारों के लिए काम करना।

76) समाज की गरीब/जरूरतमंद बहनों और बेटियों की मदद के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

77) सामाजिक जागरूकता के लिए पत्रिकाएँ प्रकाशित करना।

78) जरूरतमंद व्यक्ति या पशु को चिकित्सा उपचार या प्राथमिक उपचार प्रदान करना।

79) पर्यावरण और जल संरक्षण के साथ-साथ मृदा संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना।

80) ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना।

81) सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए काम करना।

82) वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंच बनाना, जहाँ वे अपने विभिन्न विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें, जिन्हें युवा पीढ़ी को उपलब्ध कराया जा सके।

83) गरीब और दरिद्र व्यक्तियों को उनके बेटे और बेटियों की शादी में नकद या अन्य तरह के दान के माध्यम से मदद करना और गरीब, अनाथ और दरिद्र व्यक्तियों के बीच कपड़े, भोजन और दैनिक जीवन की अन्य जरूरतों को

Ashish Pandey

Kaishik Pandey

करना और साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को नर्सिंग, कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, खासकर बुढ़, अनाथ, बीमार आदि।

- 84) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को लोकप्रिय बनाना, सामुदायिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और लागू करने में मदद करना और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करना।
- 85) सरकारी नीति के अनुसार अनुमेय प्रबंधन के अनुसार कृषि, तकनीकी हथकरघा और हस्तशिल्प अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- 86) ज़रूरतमंद योग्य छात्रों, सामाजिक नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों को छात्रवृत्ति, नोटबुक, शैक्षिक सहायता, दान प्रदान करना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करना।
- 87) उन भागों में राहत उपायों को शुरू करना, बनाए रखना और सहायता करना, जो अकाल, आग, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अधीन हैं या हो जाते हैं। साथ ही जागरूकता अभियान आयोजित करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- 88) समाज में सामाजिक न्याय और शांति के साथ-साथ संघर्ष समाधान के लिए सभी कार्य करना।
- 89) पशु कल्याण, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए कार्य करना तथा इन सभी मामलों के संबंध में जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त साधन विकसित करना।
- 90) भारतीय, सामाजिक, विदेशी या किसी अन्य एजेंसियों और/या व्यक्तियों की सहायता से विभिन्न माध्यमों या सामाजिक-आर्थिक कल्याण के माध्यम से एकीकृत सामुदायिक विकास करना।
- 91) शहरी, अर्ध-शहरी, ग्रामीण और मलिन बस्तियों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन राहत और शमन, व्यक्तिगत कौशल विकास, सामाजिक-आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में अनुसंधान और सर्वेक्षण करना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर विशेष जोर देना, जैसे कि मध्यम वर्ग, मेहनतकश वर्ग और सताए गए वर्ग।
- 92) सामाजिक संगठन/एनजीओ के नाम पर भूमि और भवन खरीदना/अधिग्रहित करना तथा सरकारी नीति के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार या सुविधानुसार संपत्ति/भवन के सभी या किसी भी हिस्से का रखरखाव, बिक्री, पट्टा, बंधक, हस्तांतरण, सुधार, विकास, प्रबंधन और नियंत्रण करने के बाद निर्माण करना।
- 93) सामाजिक क्षेत्र के क्षेत्र में काम करने के लिए अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों/कंपनियों/एनजीओ के साथ जुड़ना।

Ashish Pandey

Kushila Pandey

सामाजिक कार्य के किसी अन्य क्षेत्र में काम करना, जो सामाजिक कार्य के मूल सिद्धांतों को पूरा करता हो (यदि ऊपर या नीचे दिए गए ज्ञापन में उल्लेख नहीं किया गया है) आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया हो।

- 95) भारत और विदेश से दान और वित्तीय सहायता स्वीकार करना, सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से अंशदान और ऋण जुटाना, समाज के कल्याण के लिए निधियों का निवेश ऐसे व्यक्तिगत समाजों, फर्मों या कंपनियों के साथ करना, जो समाज को आय प्रदान करें, ऐसी शर्तों और नियमों पर जो उचित हों, और सामाजिक संगठन के उद्देश्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनियों या गतिविधियों का संचालन करना और ऊपर बताए गए इसके हितों को आगे बढ़ाना।
- 96) उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन और पूर्ति के लिए पूरे भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में काम करना।
- 97) खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत लघु उद्योगों के तहत 'कुटीर उद्योग' के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार का अवसर पैदा करना। प्रशिक्षण के दौरान और उसके बाद तैयार किए गए उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पाद को बेचने की व्यवस्था करना।
- 98) वन एवं पर्यावरण की जानकारी विकसित करने के लिए पर्यावरण शिविर, प्रकृति शिविर, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं साहित्य उपलब्ध कराने आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।
- 99) वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना।
- 100) मूक पशुओं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना, उन्हें आश्रय एवं घास चारा उपलब्ध कराना। विश्वासघाती पशुओं के लिए पशु उपचार केंद्र। विश्वासघाती पशुओं को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही भारी वर्षा, चक्रवात एवं वन अग्नि से पीड़ित पशुओं की सुरक्षा करना।
- 101) ग्रामीणों (गांवों में रहने वाले लोगों) के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन एवं व्यवस्था करना। जिसमें मरीजों को टोकन शुल्क पर उपचार दिया जाएगा। साथ ही, गांव की महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य केंद्र एवं शिशु देखभाल केंद्रों का विकास एवं संचालन करना।
- 102) 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'बालवाड़ी' की स्थापना करना और उसका संचालन करना। जिसमें बच्चों को 'एलबीएफ (मस्ती से सीखें)' योजना के तहत भोजन, पोषण और मनोरंजन के साथ शिक्षा और अनुशासन प्रदान किया जाएगा।
- 103) पिछड़े लोगों को आश्रय और अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी मदद करना।
- 104) सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए 'रेन बसेरा' (रात्रि आश्रय) विकसित करना और उसका संचालन करना।

Ashish Pandey

Kushila Pandey

- 106) ग्रामीण किसानों के लिए भूमि की व्यवस्था करना, जिसमें वे भूमि पर खेती कर सकें और नर्सरी या कोर बना सकें।
- 107) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना, उन्हें जल संसाधन बनाने में मदद करना, जैसे कि कुआं खोदना और जल संरक्षण विधि के माध्यम से कुओं को रिचार्ज करना।
- 108) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए गांवों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से बुनाई और बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प प्रशिक्षण और कक्षाओं के माध्यम से कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग की स्थापना में जानकारी प्रदान करना और सहायता करना।
- 109) पशुओं के साथ-साथ मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन करना।
- 110) ग्रामीण समुदाय में खेत मजदूरों, जमींदारों, सामान्य श्रमिकों, मजदूरों और बेरोजगार लोगों के लिए उपलब्ध कई सरकारी योजनाओं के तहत विभिन्न ऋणों के बारे में जानकारी, प्रशिक्षण और पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करना।
- 111) विजेताओं को पुरस्कार और इनाम देकर प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएँ, कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।
- 112) वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए वृद्धावस्था शिक्षा कक्षाओं के माध्यम से वृद्ध शिक्षा (प्रोध शिक्षा) को बढ़ावा देना और संचालित करना।
- 113) कामकाजी महिलाओं और बच्चों के लिए रात्रि पाठशालाओं को बढ़ावा देना और संचालित करना।
- 114) कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा और लड़कों को छात्रावास की सेवाएँ प्रदान करके लड़के और लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।
- 115) नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और कला विरासत के बारे में जागरूक करना।
- 116) राष्ट्रीय ऊर्जा, जलाऊ लकड़ी, डीजल, केरोसिन और बायो-गैस, धुआं रहित खाना पकाने की प्रणाली जैसे ऊर्जा के अपनाए गए स्रोतों के उपयोग के बारे में लोगों को बढ़ावा देना और जागरूक करना। वैकल्पिक ऊर्जा और पर्यावरण विरासत की रक्षा कैसे करें, इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना।
- 117) विभिन्न पौधों, फसलों और सब्जियों का प्रमाणित बीज बैंक खोलना।
- 118) नर्सरी खोलने और चलाने के लिए भूमि आवंटन हेतु स्थानीय और केंद्र विकास प्राधिकरण या नगर पालिका या ग्राम पंचायत या किसी अन्य संबंधित एजेंसी से संपर्क करना।

Ashish Pandey

Rakesh Pandey

- पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करना, पर्यावरण की रक्षा के लिए ओजोन परत की रक्षा के लिए समुदाय में सूचना और ज्ञान का प्रसार करना, और ग्लोबल वार्मिंग के समाधान के लिए अनुसंधान करना।
- 120) कृषि, तकनीकी, हथकरघा और हस्तशिल्प अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, जितना सरकारी नीति के अनुसार अनुमेय हो।
- 121) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण खेल, क्रीडा और ग्रामीण कौशल सहित पारंपरिक ग्रामीण सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को संरक्षित करना।
- 122) बच्चों के जीवन स्तर और शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं चलाना ताकि उन्हें संपूर्ण नैतिक और चिकित्सा सहायता के साथ बढ़ने में मदद मिल सके।
- 123) स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का आयोजन करना और/या कैंसर, टीबी, एड्स/एचआईवी और अन्य घातक बीमारियों से राहत के लिए परिवार नियोजन, प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रम चलाना और डब्ल्यूएचओ-विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यकता के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए धर्मार्थ निदान केंद्र और अस्पताल स्थापित करना।
- 124) सरकारी नीति के अनुसार निम्नतम आवास प्रौद्योगिकी के लिए प्रभावी वातावरण, उपयोगिता व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के लिए अनुकूल सामग्री अनुसंधान के लिए कौशल उन्नयन सहित ज्ञान निम्नतम आवास प्रौद्योगिकी के संचारण के लिए संस्थान के रूप में केंद्र खोलना, चलाना और बनाए रखना।
- 125) कल्याणकारी निरक्षरता, अज्ञानता की समस्याओं का समाधान, समाधान और निवारण करना तथा नशीली दवाओं की लत और नैतिक पतन के खिलाफ अभियान चलाना।
- 126) पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संबंधी चिंता की रक्षा, बहाली और रखरखाव का लक्ष्य रखना।
- 127) सामाजिक सेवा प्रशिक्षण, कानूनी और जागरूकता केंद्र प्रदान करना और विकलांगों और अपंगों का पुनर्वास या/और सहायता करना या/और रेड क्रॉस या किसी अन्य प्रासंगिक एजेंसियों के साथ रक्तदान अभियान आयोजित करना।
- 128) संग्रहालय, अभिलेखागार, अनुवाद प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि स्थापित करना।
- 129) सामाजिक संगठन के शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी और/या कृषि और/या अन्यथा प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक कल्याण के रूप में सतत आय सृजन को बढ़ावा देना और/या समर्थन देना।
- 130) सेमिनार और जागरूकता शिविर आदि आयोजित करके भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी को बढ़ावा देना।

Ashish Pandey

Kushila Pandey

- वृद्धों के कल्याण के लिए काम करना और उनके भरण-पोषण की देखभाल करना, मनोरंजन केन्द्र, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम आदि खोलना।
- 132) कानून में स्वीकार्य विभिन्न साधनों और विधियों के माध्यम से कानूनी जागरूकता प्रदान करना और व्यक्तियों और/या जनसमूह को मानवाधिकारों और अन्यथा के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयोगी ज्ञान और/या साधन और/या मीडिया का प्रसार करना।
- 133) सामाजिक-आर्थिक और विशेष रूप से प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं, बच्चों, अनाथों, विकलांगों, सड़क पर रहने वाले बच्चों आदि के क्षेत्र में स्थान-आधारित शोध परियोजनाओं को तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- 134) निर्धनता और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दान और सामाजिक कल्याण तथा विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी धर्मार्थ उपाय करना।
- 135) झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों और ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और बच्चों और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और/या अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनके आंतरिक और बाहरी व्यक्तित्व को विकसित करने और/या लड़कियों के समग्र विकास पर अधिक जोर देने के लिए कार्यक्रम चलाना।
- 136) जन सुविधा परिसर, बारात घर, रैन बसेरा, बैक्रेट हॉल, सामुदायिक भवन, विवाह गृह, प्याऊ, धर्मशाला, रात्रि निवास, अतिथि कक्ष, भोजनालय, पार्किंग स्थल, पथ खंडजा पुल, खेल के मैदान, पार्क, सीवरेज, पानी की टंकी, जलाशय, अल्पावास गृह आदि सरकारी नीति के अनुसार खोलना, स्थापित करना, चलाना, स्थापित करना, बढ़ावा देना, स्थापित करना, निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और नियंत्रण करना।
- 137) जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण पर कार्यक्रमों और उद्देश्यों पर शोध करना और उन्हें लागू करना तथा भारतीय और यूएनओ कार्यक्रमों के अनुसार उपयुक्त समाधान ढूँढना।
- 138) ऐसे अन्य कार्य/कार्य/गतिविधियां करना, जो आवश्यक हों और जो समाज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।
- 139) किसी ऐसे संस्थान की स्थापना करना या किसी ऐसे संस्थान को चलाने में सहायता करना जो सामाजिक संतुलन प्राप्त करने में सहायक हो।
- 140) समाज में कानूनी साक्षरता की उच्च दर प्राप्त करने के लिए समाज में उपयोगी ज्ञान का संचार करना।
- 141) उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन और पूर्ति के लिए पूरे भारत में और दुनिया के विभिन्न देशों में भी काम करना।
- 142) विकलांगों, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कृत्रिम उपकरण, वाहन आदि की व्यवस्था करना और उन्हें उपलब्ध कराना।

Ashish Pandey

Kushil Pandey

पर्यावरण की रक्षा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पार्क विकसित करना और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधे, पौधे उपलब्ध कराना।

143) नागरिकों में यातायात जागरूकता (पैदल यात्री, किसी भी प्रकार के वाहन, रिक्शा आदि) के प्रति जागरूकता पैदा करना

145) जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करना।

146) महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना तथा स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण या अन्य सुविधा की व्यवस्था करना।

147) बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करना तथा स्वरोजगार या नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण या अन्य सुविधा की व्यवस्था करना।

148) बेरोजगारी दूर करने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए प्रयास करना, जैसे: विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोलना, कैरियर मेला आयोजित करना, जहाँ विकल्प तथा विशेषज्ञ सर्वोत्तम अवसर के लिए सुझाव देते हैं।

149) मानव तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना तथा प्रयास करना।

150) सड़क पर रहने वाले बच्चों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई शुरू करने का प्रयास करना।

151) सड़क पर रहने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए प्रयास करना, उनके लिए घर खोलना, स्वरोजगार प्रशिक्षण बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना।

152) भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा इसके शिकार लोगों की सहायता करना।

153) पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को एक साझा बिंदु बनाने की व्यवस्था करना।

154) निःशुल्क औषधालय, रोग नियंत्रण चिकित्सा केंद्र, चिकित्सा शिविर स्थापित करना और उचित लागत पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना।

155) समाज के धन को सरकार, सरनी सरकार और सहकारी बैंकों में निवेश करना और निवेश को सुरक्षित करना।

156) पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ प्रकाशित करके या/और कोई सम्मेलन, सेमिनार, फिल्म शो, प्रदर्शनी आयोजित करके और/या कानून द्वारा अनुमेय विशेष प्रकृति के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करके उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए सुविधाएँ स्थापित करना और प्रदान करना।

157) अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, फ्रेंच आदि भाषा पाठ्यक्रम खोलना, ताकि भारत में रहने वाले छात्र और आम लोग अन्य भाषाएँ सीख सकें।

Ashish Pandey

Kushal Pandey

सकरी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और छात्रावास आदि खोलना ताकि गरीब छात्र अपने जीवन में सफल हो सकें और वे हमारे राष्ट्र को सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से चलाने में भाग ले सकें।

बुना ऊर्जा को समाज में सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए चैनलाइज़ करना ताकि वे हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें और मानव की शांतिपूर्ण प्रकृति को प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित स्वरोजगार प्राप्त करने और बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से और साथ ही प्रशिक्षुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

160) शिल्प बाजार और मेलों की व्यवस्था करना और देश के चार महानगरों और अन्य हिस्सों में शिल्प कर्मचारियों के कल्याण के लिए बाजार में एक विशिष्ट ग्रामीण स्पर्श लाना। खरीदारों और विक्रेताओं की बैठकों की व्यवस्था करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन करना।

161) कारीगरों के लिए उनकी पारंपरिक अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन केंद्र खोलना, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय शिल्प परिषदों/संग्रहालयों के साथ सहयोग करना और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।

162) हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में निर्मित उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए ऑडियो विजुअल, टेलीफिल्म, टीवी धारावाहिक और वृत्तचित्र बनाकर पर्यावरण एकीकरण, स्वरोजगार, परिवार नियोजन, स्वच्छता आदि के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ावा देना।

163) महिला अल्पसंख्यक कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना, नए उत्पाद विकसित करना, लुप्त हो रहे कला शिल्पों पर शोध करना और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र स्थापित करना तथा बुनकरों और शिल्पकारों को उनके कौशल और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और प्रदर्शनों को बढ़ावा देकर सहायता करना।

164) समाज की बेहतरी के लिए नेटवर्किंग करना और सरकार, अर्ध सरकारी, यूएनडीपी, वीएनएआईडीएस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, द्विपक्षीय बहुपक्षीय एजेंसियों से अनुदान प्राप्त करना। कमजोर वर्ग को कच्चा माल और करघे और शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान करना।

165) कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था करना और आधुनिकीकरण के लिए नवीनतम तकनीकों पर तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करना और कारीगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली उसी के कार्यान्वयन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत कारीगरों और उद्यमियों के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, विकसित करना, सहायता करना और बनाए रखना।

Ashish Pandey

Kavitha Pandey

में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए संपूर्ण भोजन की योजनाओं और कार्यक्रमों में पहल करना, उन्हें लागू करना और सहयोग करना, जिससे महिलाओं को इस महत्वपूर्ण गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिले।

- 167) परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और/या गतिविधियों का सर्वोत्तम प्रयास करना और उन्हें आयोजित करना तथा परिवार नियोजन के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं, उपकरणों, विधियों के बारे में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना और परिवार परामर्श सुविधाएं भी प्रदान करना।
- 168) नशा मुक्ति के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करके और डॉक्टरों, पत्रकारों, वकीलों, पेशेवरों आदि की विशेषज्ञ टीम द्वारा व्याख्यानो का आयोजन करके समाज की बुराइयों जैसे: स्मैक, धूम्रपान (सिगरेट/बीड़ी/हुक्का), शराब/वाइन एड्स आदि के बारे में आम जनता को उपयोगी ज्ञान और चिकित्सा सलाह प्रदान करना।
- 169) युवाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए खेल, योग, जूडो-कराटे, हॉकी, फुटबॉल, बैली बॉल, कबड्डी, खो-खो और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहित करना और ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट, योग और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
- 170) जल, वायु, मिट्टी, पृथ्वी, वायुमंडल आदि में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता, कार्यशालाएं और शोध कार्यक्रम आयोजित करना। प्रदूषित बीमारियों को रोकना और जड़ी-बूटियों, जंगलों, पर्यावरण, जानवरों, पक्षियों, वन्य जीवन और अन्य प्राकृतिक उपहारों की प्रजातियों को बनाए रखना और उनका विकास करना और पर्यावरण के संरक्षण में मदद करना।
- 171) विकलांग लोगों को भारत और विदेशों में कार्यशालाओं, सेमिनारों और आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने और वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करके उनके कौशल में सुधार करने में सक्षम बनाना।
- 172) हमारे राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों और राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा का प्रचार करना।
- 173) बाल श्रम के विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम शुरू करना तथा बच्चों के कल्याण के लिए इस संबंध में प्रभावी, लेकिन उचित और वैध कदम उठाना।
- 174) लोगों को शिक्षित करना तथा इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण कानून और जनता के अधिकारों के बारे में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित करना।
- 175) उपयोगी ज्ञान के प्रचार-प्रसार तथा भारतीय कला, संस्कृति और दर्शन के उत्थान के लिए कार्य करना।
- 176) ऑडियो विजुअल, टेली फिल्म, टीवी धारावाहिक और वृत्तचित्र बनाकर पर्यावरण, एकीकरण की भावना, स्वरोजगार, परिवार नियोजन, स्वच्छता आदि में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना।

Ashish Pandey

Keerthi K. Pandey

सेन्टर, बैनर, ऑडियो वीडियो कैसेट, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, स्किट, डॉक्यूमेंट्री आदि जैसे जागरूकता पैदा करने वाले किट तैयार करना।

178) उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए यात्रा और आवास का खर्च उठाना और हर संभव तरीके से उनकी मदद करना।

179) सरकारी, अर्ध सरकारी, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों से सूचना, नोटिस, अधिसूचनाएं, नीतियां एकत्र करना। और समाज के सदस्यों और आम जनता को भी यह जानकारी प्रदान करना।

180) डेटा संग्रह के लिए सर्वेक्षण करना।

181) हर साल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, सरस्वती पूजा, ईद, रमजान, क्रिसमस दिवस, गुरु नानक जयंती, गांधी जयंती आदि जैसे विशेष अवसरों पर धार्मिक उत्सव का आयोजन करना।

182) किशोरों के सशक्तीकरण और विकास के लिए प्रयास करना और इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य और धन के लिए कोई प्रशिक्षण/कार्यशाला/खेल आदि शुरू करना।

183) सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, बढईगीरी, लेदर वर्क, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, मोबाइल मैकेनिक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि जैसे कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

184) किसी भी राज्य के निवासियों को स्थानीय आधारित जरूरतें प्रदान करने के लिए प्रयास करना।

185) अस्पृश्यता को दूर करने और सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करना।

186) विभिन्न आयु समूहों के लिए क्लब बनाना, ताकि वे अपने-अपने विषयों पर चर्चा कर सकें।

187) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जागरूकता पैदा करना तथा उनके लिए व्यावसायिक केंद्र उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना।

188) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल/केंद्र/कार्यशाला खोलना।

189) अध्ययन केंद्रों को चलाने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, सीबीएसई आदि से अध्ययन केंद्र/संबद्धता लेना तथा छात्रों को उनके विषयों में उचित मार्गदर्शन देना, ताकि छात्र और आम जनता राष्ट्रीय शांति और सुचारु रूप से चलने में मदद कर सकें।

190) हथकरघा और इसके अन्य संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाओं सहित विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना और उपलब्ध कराना।

Ashish Pandey

Karishma Pandey

- प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, विभिन्न कार्यों में धन की बर्बादी तथा नशीली दवाओं/शराब/स्मैक आदि के उपयोग जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए प्रभावी लेकिन उचित कानूनी कदम उठाना।
- 192) निराश्रित विधवाओं, वृद्ध पुरुषों या महिलाओं, वेश्याओं, गरीबों, भिखारियों, विकलांगों, अंधे, बहरे, गूंगे, मानसिक रूप से विकसित तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए पुनर्वास केंद्रों की समुचित व्यवस्था करना।
- 193) युवा और वृद्ध विधवाओं, अविवाहित माताओं, अपहरण की शिकार महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को आवासीय देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्वासित करना तथा वेश्याओं और उनके आश्रित बच्चों को सुरक्षा, आश्रय, सम्मान, रोजगार और अन्य आवश्यक/आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।
- 194) आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए तथा समय-समय पर समाज द्वारा उचित समझे जाने वाले सार्वजनिक हितों के लिए सक्षम न्यायालय/न्यायालयों से संपर्क करना।
- 195) सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, बैंकों, कंपनी, फैक्ट्री तथा किसी अन्य कानूनी इकाई या व्यक्ति से वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- 196) समाज के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चल तथा/अथवा अचल संपत्तियों के रूप में दान, अनुदान, उपहार, भेंट तथा अन्य भेंट स्वीकार करना।
- 197) मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान सहित निधियों का आयोजन तथा संग्रह करना।
- 198) अन्य संघों, ट्रस्टों तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की सहायता तथा सहयोग करना, जिनके उद्देश्य इस समाज के समान हैं।
- 199) ऐसे अन्य कार्य/कार्य/गतिविधियाँ करना जो आवश्यक हों तथा जो समाज के किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हों।
- 200) भारतीय सांस्कृतिक विरासत, दर्शन, कला, शिल्प, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पुनः खोजना और समृद्ध करना।
- 201) भारतीय समाज और राष्ट्र के सामने सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं की पहचान करना और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए नीतियाँ और कार्य कार्यक्रम तैयार करना।
- 202) समाज के समग्र विकास का मॉडल बनाना।
- 203) समाज के लिए पानी, सड़क आदि जैसी बुनियादी नागरिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।
- 204) समाज की बेहतरी के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाने और अच्छी नौकरी पाने या अपना उद्यम शुरू करने और अपने काम और सामाजिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन केंद्र शुरू करना।

Ashish Pandey

Kulika Pandey

संघों में भाईचारा, सहयोग, आपसी सद्भाव, प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करना।

संघ के सदस्य की ओर से सरकार के विभिन्न अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व करना।

207) उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए यात्रा, भोजन और आवास का खर्च वहन करना और उन्हें हर संभव तरीके से मदद करना।

208) शिल्प-शिक्षा, कला-केंद्र (हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य और मॉडलिंग से संबंधित) आदि की स्थापना और रखरखाव सहित जनता के बीच ललित कला, शिल्प को बढ़ावा देना।

209) महापुरुषों और राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा का अनुसरण करना और उनका प्रसार करना, जिन्होंने दलित, पिछड़े वर्गों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया या समाज के लाभ के लिए कुछ उल्लेखनीय किया। समाचार पत्र/न्यूज़लेटर, जर्नल, हैंडबिल, पैम्फलेट और पुस्तकों का प्रकाशन और मुद्रण; ऑडियो-विजुअल सामग्री का उत्पादन और प्रसार; सेमिनार, संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ आयोजित करना।

210) शैक्षिक/भ्रमण यात्राएँ और यात्राएँ (समय-समय पर) आयोजित करना और प्रतिभागियों को परिवहन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, अस्थायी, आश्रय आदि जैसी सभी संभव सुविधाएँ प्रदान करना।

211) मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, विधवाओं, निराश्रित भिखारियों और समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र और स्कूल/प्रशिक्षण केंद्र शुरू करके या नेटवर्किंग और अनुबंधों के माध्यम से मदद करने और उन्हें कुशल बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना।

212) समाज के विभिन्न आयु समूहों के लिए विभिन्न प्रकार के शिविरों की व्यवस्था करना।

213) समाज की बेहतरी के लिए संगठन द्वारा पहचाने गए विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

214) क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरू करना और चलाना, लोगों को प्रशिक्षित करना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादों का निर्माण और विपणन करना तथा लोगों को आत्मनिर्भर और भोजन उपलब्ध कराना।

215) समाज के पूंजीगत और आवर्ती व्यय के लिए निधियों का उपयोग करना, उपयुक्त निवेश करना या किसी अन्य वैध तरीके से निधि का उपयोग करना, जिसे समाज आवश्यक समझे।

216) समाज के विघटन की स्थिति में, समाज की संपूर्ण संपत्ति/दियताएं आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद समान उद्देश्य और लक्ष्य रखने वाले किसी अन्य धर्मार्थ संगठन/संघ को वितरित/हस्तांतरित कर दी जाएंगी। एमओए के अन्य सभी उद्देश्य समान रहेंगे।

217) सड़क सुरक्षा जागरूकता और गतिविधियों, यातायात नियम और विनियमन आदि के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं/जनता को बढ़ावा देना और शिक्षित करना।

Ashish Pandey

Kushika Pandey

- २१) वन्य जीव, मवेशी, बचे हुए मवेशियों के कल्याण और रोकथाम के लिए काम करना। पशु चिकित्सा अस्पताल, गौशालाएँ स्थापित करना।
- 219) लोगों की सेवा में लागू विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- 220) खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना।
- 221) मध्याह्न भोजन, एस.एन.पी. आपूर्ति और अन्य पोषण आपूर्ति परियोजनाओं को लागू करना।
- 222) राज्य और केंद्र सरकार/अंतर्राष्ट्रीय निकायों की वित्तीय सहायता से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध कार्यों को बढ़ावा देना।
- 223) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा और खेल मामलों के मंत्रालय और इन गतिविधियों से संबंधित विभिन्न अन्य मंत्रालयों की वित्तीय सहायता से स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न सेमिनार, सम्मेलन प्रशिक्षण सह क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना।
- 224) संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्री-स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की योजनाओं और कार्यक्रमों में कार्यान्वयन और सहयोग करना, महिलाओं को महत्वपूर्ण गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्रदान करना।
- 225) बच्चों को आर्टीई अधिनियम या सरकारी नीतियों और योजनाओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना।
- 226) आरसीएच शिविर आयोजित करके और आरसीएच की बाहरी सेवाओं को मजबूत करके बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- 227) कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों (एलसीपीएस) के लिए पुनर्वास प्रदान करना।
- 228) स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, कॉरपोरेट आदि में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- 229) स्कूल, कॉलेज स्थापित करना, सभी राज्य बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी दिल्ली बोर्ड से मान्यता प्राप्त करके और आवश्यकतानुसार किसी भी सोसायटी, सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थानों/आयोगों से संबद्धता प्राप्त करके अच्छी प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हाई और वयस्क शिक्षा प्रदान करना।
- 230) अल्पसंख्यक स्कूल चलाना, जैसे मदरसा और संस्कृत विद्यालय आदि।
- 231) विविध मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- 232) भारतीय नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कला, विचारधारा और साहित्य को बढ़ावा देना।
- 233) आदिवासी/लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और उसका प्रसार करना।

Asish Pandey

Kunika Pandey

राष्ट्रीय और स्थानीय संग्रहालयों को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूत बनाना।

राष्ट्रीय स्मारकों का विकास और रखरखाव करना।

236) सरकार, अर्ध-सरकारी, राष्ट्रीय बैंकों, समितियों, वित्तीय संस्थानों, कपार्ट, नाबार्ड, सिडबी, भारत सरकार के मंत्रालयों, नेडफी, डीडब्ल्यूईआरए, यूनिसेफ, डूडा, सूडा, एपीडा, इरेडा, सिप्सा, खादी और ग्रामोद्योग, विदेशी सरकार और विदेशी वित्त पोषण एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना।

237) शहरी/ग्रामीण आबादी को आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र के अपार लाभों के बारे में जागरूक और परिचित कराना तथा आईटी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू करना और आईटी उत्पादों और सेवाओं की वैश्विक मांग के संदर्भ में सेवाएं स्थापित करना तथा एक सक्रिय योजना में डिजिटल विभाजन को पाटना।

238) नागरिक समर्थन का एक मजबूत आधार तैयार करना, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापितों और अन्य वंचित लोगों के लिए वकालत-आधारित मानवीय कार्रवाई नागरिक समाज की भागीदारी और भागीदारी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए संसाधनों को जुटाना।

239) जीआरसी, एसआरसी, संसाधन केंद्र, जन शिक्षण संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। पंचायत, विधान सभा और संसदीय चुनावों में मतदान के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

240) कॉर्पोरेट घरानों, सरकार और अन्य संस्थाओं के HARSRE कार्यक्रमों का मार्गदर्शन, डिजाइन और क्रियान्वयन करना।

241) CSR गतिविधियों के आगे के रोडमैप के लिए कार्यान्वित किए गए ऐसे कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन करना।

242) कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक अधिकारों और समानता को बढ़ावा देना।

243) ग्रामीणों (गांवों में रहने वाले लोगों) के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन और व्यवस्था करना। जिसमें मरीजों को टोकन शुल्क पर उपचार दिया जाएगा। साथ ही, गांव की महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य केंद्र और बाल देखभाल केंद्रों का विकास और संचालन करना।

244) पिछड़े लोगों को आश्रय और अन्य प्राथमिक ज़रूरतें प्रदान करके उनकी मदद करना।

245) सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा विकसित करना और चलाना।

246) भूमिहीन किसानों के लिए भूमि की व्यवस्था करना, जिसमें वे खेती कर सकें और नर्सरी या कोर बना सकें।

Ashish Pandey

Kurlika Pandey

की प्रगति के लिए विभिन्न कार्यशालाएं, युवा प्रशिक्षण शिविर और कौशल प्रशिक्षण शिविर आदि विधियों की व्यवस्था करना और उनका संचालन करना।

248) देश के ऐसे श्रमिकों को आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण में उनके विशेष योगदान और इस क्षेत्र में उनके काम के लिए पुरस्कार, सम्मान, प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना।

249) समाज के जरूरतमंद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को धोती, कंबल, दरी, ऊनी/सूती/कपड़े और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।

250) विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करके उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए भारत और विदेशों में कार्यशालाओं, सेमिनारों और विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाना।

251) किसानों और कृषि से जुड़े लोगों से संपर्क करके उन्हें किसानों/कृषि की बेहतरी के लिए कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और शोध संबंधी जानकारी प्रदान करना।

252) भारत में कार्यरत डिजिटल उद्यमियों को ट्रेनिंग, एवं शोषण के प्रति जागरूकता, साथ ही ट्रस्ट के सभी कार्य इन डिजिटल उद्यमियों के माध्यम से करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

253) स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं वित्तीय सहायता करना।

254) साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना तथा डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ग्रामीणों को इंटरनेट से जोड़ना।

255) समाज की सभी आय, कमाई, चल और अचल संपत्ति का उपयोग केवल एसोसिएशन के ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा और उस पर कोई लाभ समाज के वर्तमान या पिछले सदस्यों या वर्तमान या पिछले सदस्यों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से लाभांश, बोनस, लाभ के रूप में सीधे या परोक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। समाज का कोई भी सदस्य समाज की किसी भी चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इस सदस्यता के आधार पर कोई भी लाभ नहीं कमाएगा।

Ashish Pandey

Karika Pandey

अन्वी फाउंडेशन

ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय निम्नलिखित है।

क्र.सं०	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	आशीष पाण्डेय	मुख्य ट्रस्टी	229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	सेवा क्षेत्र
2	कृतका पाण्डेय	सचिव	229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	ग्रहणी
3				
4				

Ashish Pandey



Kritika Pandey



नियमावली

ट्रस्ट का नाम	अन्वी फाउंडेशन
ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय का पुरा पता	229 बुद्धि विहार फेज 2 आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001
ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र	सम्पूर्ण विश्व (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र)

2. प्रारम्भिक उपबन्ध :

संस्थापक सदस्य/अध्यक्ष/न्यासी/मुख्य ट्रस्टी

वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकरण के दिनांक उपरोक्त जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास के विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट का प्रबन्धक भी सुनिश्चित किया जाता है।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा, अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत, इच्छा पत्र, व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

Ashish Pandey

Pankaj Pandey

करत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सभी उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार हेतु स्वतंत्र है।

३. यह पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो भी वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करके निर्णय को बदल सकता है तथा पुनः अपने उत्तराधिकारी को हटाकर स्वयं ट्रस्ट का कार्यभार ग्रहण कर जीवनपर्यन्त तक मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के पद पर कार्य कर सकता है।

३. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :

१. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि उतने ही सदस्य होंगे, जितने कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष उचित समझे।
२. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उस कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
३. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष स्वयं करेगा।
४. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको की मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
५. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतः मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

Ashi Su Pandey



Kaishik Pandey



3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त निवास, कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय, भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय, भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा, ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

6. कार्य क्षेत्र :

1. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र या व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है तथा उनके द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त, स्वीकृत, अस्वीकृत, संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को उत्तरदायी ढंग से करने के लिये एक संरक्षक, एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा। उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते सुविधाएं कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किय जायेंगे। उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त तक पद पर कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य को हस्तान्तरित कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन समस्त कार्यों को उत्तरदायी ढंग से करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा। सचिव, उप सचिवों के वेतन, भत्ते

Ashish Pandey

Kaushik Pandey

बुनियादें, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे। उक्त सचिव, उप सचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त तक पद पर कार्य करेंगे।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है। इस ट्रस्ट के कल्याणार्थ समस्त कार्य करना, निगरानी रखना एवं अन्तिम निर्णय देना।
5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
6. इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन, परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर-सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के ही हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर एवं समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने विवेक से नियुक्त संरक्षक, उपाध्यक्ष, सचिव, उप-सचिव, सदस्य आदि को वेतन भत्ते सुविधायें प्रदान करने हेतु स्वतंत्र है।
8. ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना। बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना तथा उनके अवकाश को स्वीकृत करना। ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिये गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उनके लिये अहितकारी या अलाभकारी हो, उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाना। 9. ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना। ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटीयों/यूनिटों का संचालन करना। ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, निष्कासन करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना। सदस्यों के सदस्यता पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना। प्रशासनिक कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करना। ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी योजनायें बनाना।

8. संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य -

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों की समीक्षा करना तथा उचित सलाह देना। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, संस्थाना, कार्यक्रम, केन्द्र, इकाई, कार्यालय आदि में जहां भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष प्रबन्धक पद के दायित्व का निर्वहन करेंगे, उस प्रबन्ध समिति/मैनेजमेंट कमेटी में अध्यक्ष पद पर आसीन होकर कार्य करना, जिसमें प्रबन्ध समिति/मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाना, बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों को उत्तरदायी ढंग से करना।

Asish Pandey

Ruhika Pandey

9. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की अनुमति विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य उत्तरदायी ढंग से करना।

10. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से उत्तरदायी है। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही का प्रस्ताव, ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना एवं मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर समाधान का निर्देश, आदेश प्राप्त करना। ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु अभिमत के साथ प्रस्ताव रखना, ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभागों, केन्द्रों संस्थाओं, उप संस्थाओं का गठन, उनके संयोजकों निदेशकों पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति का प्रस्ताव तथा कार्य के सफल संचालन हेतु नियम, उपनियम, मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करना। ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु अभिमत प्रस्तुत करना, एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन बनाकर मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त प्रचार, प्रसार, मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विक्रय की सर्वोत्तम रूवस्था करना। जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन का प्रस्ताव मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के समक्ष रखना। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य उत्तरदायी ढंग से करना।

11. उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1) सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना। सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य उत्तरदायी ढंग से करना।

12. बैंक एकाउण्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोला जा सकेगा, जिसका परिचालन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यक्रम, इकाई कार्यालय आदि उद्देश्य व नियमावली के अनुरूप पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है जिसका परिचालन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

 Ashu Pandey

 Hari Kishan Pandey

खाता पड़ने पर ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित व कार्यरत किसी भी अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, केन्द्र, कार्यक्रम, इकाई, कार्यालय आदि का उद्देश्य व नियमावली के अनुरूप पृथक नाम से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इसके संचालन के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को दिए गये निर्देशों तथा अधिकृत व्यक्ति द्वारा बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर संचालित किया जाएगा, किन्तु खाता खोलने की अनुमति व निकाली जाने वाली धनराशि का अनुमोदन मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

वैधिक कार्यवाही :

- 1) यदि ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

14. सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट चल, अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है तो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त हैं। ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर कोई निर्णय लेने, लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट की ओर से चल, अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख, विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु ट्रस्ट का अध्यक्ष पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट, चल, अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है, अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृत, चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन, सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल, अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति, भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है, ले जा सकता है, देख सकता है।

Ashish Pandey

Ashish Pandey

उद्देश्य की पूर्ति हेतु धन संग्रह करना एवं व्यय करना। सहायता लेना एवं सहायता देना, व्याज रहित व सहित धन लेना व देना, लीज पर लेना व देना। सम्पत्ति सम्बन्धी सभी कार्य हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रूप से अधिकृत है। पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृत प्रदान करना, चल-अचल सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना। ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित/स्थापित किसी भी संस्था की भूमि विक्रय करने पर प्राप्त धन को ट्रस्ट के हित में लगाना। ट्रस्ट अथवा संस्था के विकास हेतु किसी भी बैंक, डाकघर या प्रतिष्ठित व्यक्ति से ऋण लेना व भुगतान करना। ट्रस्ट के विकास हेतु दान, अनुदान, चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।

9. ट्रस्ट द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का होगा। ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सभी पदाधिकारी/सदस्य ऋण लेने हेतु अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में दे सकते हैं तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा। किसी भी दशा में यदि ऋण का भुगतान ट्रस्ट नहीं कर पाता है तो ट्रस्ट की सम्पत्ति बेचकर ऋण का भुगतान किया जायेगा। जमानत लिये हुये किसी भी पदाधिकारी/सदस्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति से ऋण का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. विशेष :-

1. इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित, कार्यरत किसी भी अस्पताल विद्यालय महाविद्यालय, कार्यक्रम, इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम, उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विवेक/अवस्था में अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

Ashish Pandey

Kuliku Pandey

3. ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित में उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मर्पित एवं तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित की जाती है। उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

मुरादाबाद / दिनांक : 09.03.2025

Ashish Pandey



Poojika Pandey

हस्ताक्षर



अन्वी फाउंडेशन

गवाहान

1. विवेक सिंह पुत्र श्री वेदप्रकाश सिंह
निवासी कटघर निकट हनुमान मंदिर
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश

Vivek Singh



2. रामजी पांडे पुत्र श्री राधे श्याम पांडे
निवासी सेरोली , बरेली उत्तर प्रदेश

Ramji Pandey



यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 09/03/2025 को पक्षकारों के निर्देशानुसार श्री जोगेन्द्र सिंह एडवोकेट द्वारा टाईप कराया गया है ।

Jogendra Singh (Adv.)
Reg. No. UP01286/07, COP No. 015481/18
Ch. No. C-32, Near Advocate Building-1
Court Compound, Moradabad
Mob. No.-9927088682

Ashish Pandey

Poojika Pandey



आवेदन सं०: 202500719010505

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 431 के पृष्ठ 31 से 94 तक क्रमांक 96 पर
दिनांक 10/03/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Red

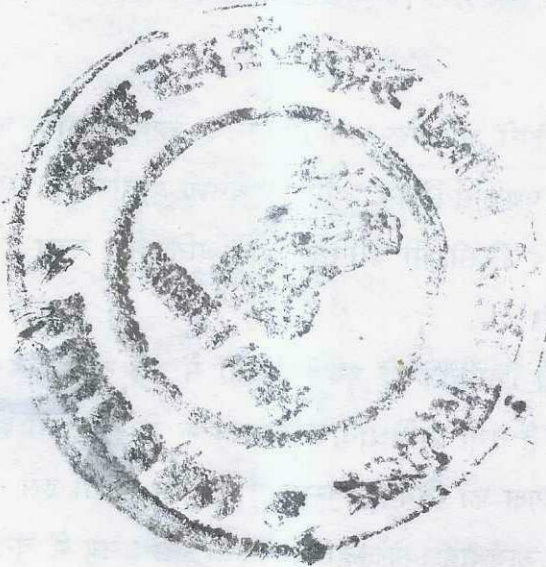
आर० डी० राम

उप निबंधक : सदर द्वितीय

मुरादाबाद

10/03/2025

प्रिंट करें



आवेदन सं०: 202500719010505

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 96

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

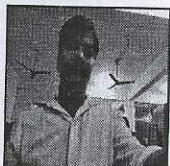
श्री आशीष पाण्डेय, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: निवासी 2298 बुद्धि विहार फेस 2 आवास विकास
कालोनी सेक्टर 11 जिला मुरादाबाद उ०प्र० 244001

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

Ashish Pandey



कुमारी कृतिका, पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: निवासी 2298 बुद्धि विहार फेस 2 आवास विकास
कालोनी सेक्टर 11 जिला मुरादाबाद उ०प्र० 244001

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

Kritika Pandey



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

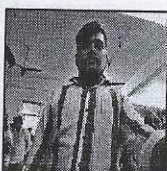
श्री विवेक सिंह, पुत्र श्री वेदप्रकाश सिंह

निवासी: निवासी कटघर निकट हनुमान मन्दिर जिला
मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

Vivek Singh



श्री रामजी पांडे, पुत्र श्री राधे श्याम पांडे

निवासी: निवासी सेरोली बरेली उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

Ranjit Pandey



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आर० डी० राम

उप निबंधक : सदर द्वितीय

मुरादाबाद

10/03/2025

अपूर्व सक्सेना मुरादाबाद

निबंधक लिपिक मुरादाबाद

10/03/2025

प्रिंट करें